

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 73/2021

पूर्ण सिंह पुत्र चन्द्रसिंह राजपूत, निवासी गाडराटा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम पूर्ण सिंह अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 24/2021 निर्णय दिनांक 04.08.2021

उपस्थिति:-

- 1 श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट----- रेस्पोजेन्ट की ओर से ।

—निर्णय—

दिनांक 09.11.2021

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम पूर्ण सिंह मु0नं0 24/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हैक्टर किस्म बंजड़ -II व बंजड़-III वाके ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी में 0.10 हैक्टर भूमि पर पत्थरों की बाड़ लगाकर अतिक्रमण करना मानकर बेदखली के आदेश पारित किए है। जबकि उक्त भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 1203/308 व वर्तमान खसरा नम्बर 438 में सन् 1966 में न्यायालय नायब

७/११/२१
अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू



तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्त के पिता चन्दर सिंह पुत्र छतु सिंह राजपूत निवासी गाडराटा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.1966 में 75 पैसे प्रति बीघा के हिसाब से जमा करवाने पर आदेश एफ-3(66) राज./बी/जीआर-11/62 के परिपत्र के तहत नियमन की अनुशंषा की थी। इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्त को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त की जबाब देही को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 03.11.1966 में की गई नियमन की अनुशंषा को भी नजर अंदाज किया है। अतः अपीलान्त का कब्जा वैध तथा नियमन योग्य होने से अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हैक्टर किस्म बंजड़ -II व बंजड़-III वाके ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी में 0.10 हैक्टर भूमि पर पत्थरों की बाड़ लगाकर अतिक्रमण करना मानकर बेदखली के आदेश पारित किए हैं। जबकि उक्त भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 1203/308 व वर्तमान खसरा नम्बर 438 में सन् 1966 में न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्त के पिता चन्दर सिंह पुत्र छतु सिंह राजपूत निवासी गाडराटा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.1966 में 75 पैसे प्रति बीघा के हिसाब से जमा करवाने

512
अति. जिला कलक्टर
सुन्दर

पर आदेश एफ-3(66)राज./बी/जीआर-11/62 के परिपत्र के तहत नियमन की अनुशंषा की थी। इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की जबाब देही को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 3.11.1966 में की गई नियमन की अनुशंषा को भी नजर अंदाज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 04.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेहाड़ा जाटूवास की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हैक्टर किस्म बंजड़ -II व बंजड़-III वाके ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी में 0.10 हैक्टर भूमि पर पत्थरों की बाड़ लगाकर अपीलान्ट ने अनाधिकृत रूप से पत्थर की बाड़ कर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 1203/308 वर्तमान खसरा नम्बर 438 में सन् 1966 में न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्ट के पिता चन्दर सिंह पुत्र छतु सिंह राजपूत निवासी गाडराटा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.1966 में 75 पैसे प्रति बीघा के हिसाब से जमा करवाने पर आदेश एफ-3 (66) राज./बी/जीआर-11/62 के परिपत्र के तहत नियमन की अनुशंषा की थी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का विवादित भूमि पर काफी पुराना कब्जा है तथा भूमि की किस्म गैर मु0 बंजड़ है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपने निर्णय में ऐसी कोई

५१
अति. जिला क्लर्क
झुंझुनू

फाईडिंग नहीं दी गई कि इतना पुराना कब्जा के बावजूद प्रकरण नियमन योग्य क्यों नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 उनवानी सरकार बनाम पूर्ण सिंह मु0नं0 24/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर राज्य सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।



(जे0 पी0 गौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू